न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :- सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस0)

मुकदमा नं0 :- 28/2017

दायर दिनांक :- 18.09.2017

उनवान

1. नाथूसिंह पुत्र मूलचन्द जाति गुर्जर निवासी खुरीखुर्द तहसील दौसा जिला दौसा।

– (वादी)

बनाम

1 प्रहलाद
2 सरदार } पिसरान मूलचन्द जाति गुर्जर निवासी ग्राम खुरीखुर्द तहसील दौसा जिला दौसा।

3 राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार दौसा जिला दौसा।

4 उपपंजीयक दौसा कार्यालय जिला कलेक्ट्रेट परिसर दौसा।

5 आईसीआईसीआई बैंक शाखा दौसा जरिये शाखा प्रबन्धक

6 कमला देवी पत्नि नन्दाराम गुर्जर निवासी खुरीखुर्द तह0 दौसा।

–(प्रतिवादीगण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 11:52:26 IST
Reason: SelfAttested

दावा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 आरटी एक्ट

:: निर्णय ::

दिनांक: 27.09.2021

वकील मय वादी ने एक वाद दावा तकास्मा एवं उद्घोषणा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की ग्राम खुरीखुर्द तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खसरा न0 689 रकबा 0.52 है0, खसरा न0 690 रकबा 0.30 है0, खसरा न0 691 रकबा 0.04 है0, खसरा न0 692 रकबा 0.12 है0, खसरा न0 693 रकबा 0.33 है0, खसरा न0 694 रकबा 1.20 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.51 है0 भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी जिसकी खातेदारी इन्द्राज वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नाथूसिंह पुत्र मूलचन्द हिस्सा 1/4, नाथूसिंह, प्रहलाद, सरदार पि0 मूलचन्द हिस्सा 1/4, प्रहलाद, सरदार पि0 मूलचन्द हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है।

उक्त वाद में वकील वादी ने वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया है:-

1. डिक्री तकास्मा इस अमर की प्रदान करे कि ग्राम खुरीखुर्द तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा न0 689 रकबा 0.52 है0, खसरा न0 690 रकबा 0.30 है0, खसरा न0 691 रकबा 0.04 है0, खसरा न0 692 रकबा 0.12 है0, खसरा न0 693 रकबा 0.33 है0, खसरा न0 694 रकबा 1.20 है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.51 है0 का तकास्मा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस फरमाकर अलग-अलग खातेदारी प्रदान करे तथा अलग-अलग लगान कायम फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 11:52:26 IST
Reason: SelfAttested

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी नम्बर 1, 2, 4 व 5 बावजूद तामिल उपस्थित नही हुये अतः इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तत्पश्चात पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट खुरीकलां में दिनांक 29.05.2018 को पेश हुई। कैम्प कोर्ट में वादी को सुना गया। प्रार्थिया कमला देवी का प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 स्वीकार किया गया। प्रार्थियां के अधिवक्ता द्वारा संशोधित शीर्षक पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वादी के द्वारा अपनी भूमि के विभाजन करने का वाद पेश किया जो स्वीकार किया जाकर तहसीलदार दौसा को ग्राम खुरीखुर्द तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित भूमि खसरा न0 689 रकबा 0.52 है0, खसरा न0 690 रकबा 0.30 है0, खसरा न0 691 रकबा 0.04 है0, खसरा न0 692 रकबा 0.12 है0, खसरा न0 693 रकबा 0.33 है0, खसरा न0 694 रकबा 1.20 है0, तथा खसरा न0 936 रकबा 0.72 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.23 है0 भूमि के कुर्रेजात तैयार कर तीन-तीन प्रतियों में भिजवाने हेतु इस न्यायालय के पत्रांकः कोर्ट/2018/7362 दिनांक 20.08.2018 के द्वारा तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी की गई जिसकी पालना में तहसीलदार दौसा के द्वारा कुर्रेजात तैयार कर उनके पत्रांकः भू0अ0/2019/10098 दिनांक 22.08.2019 के द्वारा इस न्यायालय में निम्न प्रकार से पेश किये गयेः-

क्र.सं	खातेदार का नाम	ख0न0	रकबा	किस्म	लगान
1.	कमला पत्नी नन्दाराम जाति गुजर सा0 देह	694	0.82	बा. 1	7.38
2.	नाथूसिंह, प्रहलाद पुत्र मूलचन्द जाति गुजर प्रहलाद सिंह पुत्र मूलचन्द हि0 1/4 राहिन आईसीआईसीआई शाखा दौसा मूर्तहीन सा0 देह	694/1	0.38	बा. 1	3.42
		689	0.52	चाही 2 (0.21) जाव 2 (0.31)	7.35 5.43
		690	0.30	जाव 2 (0.12) चाही 2 (0.18)	2.10 6.30
		692	0.12	जाव 2 (0.02) चाही 2 (0.10)	0.35 3.50
		693	0.33	जाव 2 (0.14) चाही 2 (0.19)	2.45 6.65
		किता 5	1.65		37.55
3.	नाथूसिंह पुत्र मूलचन्द हि0 1/4 [illegible] मूलचन्द हि0 1/6 कमला देवी पत्नी नन्दाराम हि0 1/3 बिलारहन [illegible] पि0 [illegible] 1/4 राहिन आईसीआईसीआई बैंक शाखा दौसा मूर्तहीन जाति गुजर [illegible] रकबा 0.04 गै0मु0 चाह				

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 11:52:26 IST
Reason: SelfAttested

तत्पश्चात पत्रावली को बहस हेतु नियत किया गया। पत्रावली पर बहस सुनी गई। अतः कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादी का वाद अंतिम रूप से डिक्री होने योग्य है।

:: आदेश ::

वाद वादी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाता है। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी हो। राजस्व अभिलेख में अमलदरामद हेतु तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम होकर वाद तकमिल दाखिल दफ्तर हो।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 27/09/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

मनीषा (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा
सहायक कलक्टर
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha
Date: 2022.10.21 11:52:26 IST
Reason: SelfAttested